

शुभ,

श्री ज्योति बागुली,  
उप राज्य,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विद्या भवन 2 मुद्राग षण्ड प्रतिष्ठान,  
नई दिल्ली ।

विद्या 178 अनुदान

संज्ञक: दिनांक: 2 जून, 1993

विषय:-

डे.के.पी.ए. डे.पी. स्कूल सी-105, मिडलनगर रोड-9, नाजिबाबाद  
की माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अर्जित अनुदान पर  
दिये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषय पर दूरी यह करने का निर्देश हुआ है कि डे.के.पी.ए.  
डे.पी. स्कूल, नाजिबाबाद को सी.के.पी.ए. नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुदान किये  
जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अर्जित नहीं है ।

- 1- विद्यालय की परीक्षा तैयारी का तब तक पर नवीनीकरण  
कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की पुस्तक खरीद में शिक्षा विभाग द्वारा मासिक  
रक मंजूर होगी ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित  
जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहें और उक्त उत्तर प्रदेश  
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अर्जित अनुदानों में शामिल  
स्वास्थ्य के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की  
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से  
किसी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की  
सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीसि कार डि  
डिप्लोमा स्कूल की फिजिट इन्फार्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती  
है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित अनुदान प्राप्त होने की दिशा में  
परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्थल: समाप्त  
की जायेगी ।
- 5- संस्था के शिक्षक एवं अध्यापकों को राजकीय सेवा प्राप्त  
प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कार्यवाहियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित  
जन्य भर्तियों से कम वेतनमान तथा अन्य भर्तियों नहीं दिये जायेंगे ।

- 6- कर्मचारियों को सेवा में बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आर्थिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की समान सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निकले जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिहाई नियमित प्रप-पैजेंटों में रहा जायेगा
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वाज्ञोपन के बिना कोई परिवर्तन/द्वि संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- विद्यालय में किसी भी प्रकार में अतिरिक्त अकादमिकों की नियुक्ति नहीं की जायेगी और विद्यालय के सभी कर्मचारियों का वेतन मुक्तान पैक के माध्यम से दिया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पार्श्व जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गड़बड़ या कठिनाई करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अकादमिक पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

राजीव गांधी  
उप सचिव ।


सूचक 2420111/15-7-1993 तदुत्तरित

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुफार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- कर्माधीय उप शिक्षा निदेशक मेरठ कालन, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, नाशिकावाट ।
- 4- निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, डी.डी.सी.0 देवरी हनुम नाशिकावाट ।

आता है,

  
राजीव गांधी  
उप सचिव ।